न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00069 (69/2019) 225 आरटीएक्ट

1. गोमती देवी पत्नी श्री गोपीराम जाति जाट निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरण सर जिला बीकानेर (राज0)
2. रूक्मणी पत्नी प्रेमाराम उर्फ प्रेम कुमार जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज0)
3. गायत्री पत्नी श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज0)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. संध्या पुत्री पुष्पा पत्नी दशरथ नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता दशरथ पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. शकुन पुत्री पुष्पा पत्नी दशरथ नाबालिग जरिये प्रकृतिक संरक्षक पिता दशरथ पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. श्रीमान उप पंजीयक, हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्र. सं. 133/2018 बअनवानी रामकुमार बनाम मुखराम आदि

श्री खुशप्रीतसिंह सन्धू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2
श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 3 व 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:–30.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 न एक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि को खाता विभाजन करवाने बिना रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करने का स्थगन जारी करने का अनुतोष मांगा। इस प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दिनांक 01.06.2018 के द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया एवं उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 13.07.2018 के द्वारा पूर्व में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला वाद पत्र कन्फर्म किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश गलत विधि विरूद्ध, होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दूओं बाबत विस्तृत निर्णय में उल्लेख नहीं किया है तथा न ही अपीलाधीन आदेश में यह वर्णित किया है। तीनों बिन्दू किस प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित हैं यह उल्लेख नहीं किया है। अपीलाण्ट पक्षकार अपने नाम दर्ज आराजी को अपने इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अपने नाम दर्ज आराजी की ऋण सुविधा प्राप्त करने व उसको बेचान करने की सुविधा में अन्य कोई पक्ष बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत महिला के नाम दर्ज सम्पति की पूर्ण स्वमी होती जिसकी आराजी में किसी भी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं हो सकता और इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद धारा 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया गया है तथा कानूनन धारा 188 आरटीएक्ट के तहत दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में सह खातेदारों के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड. में रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत आराजी में हस्तक्षेप करने पर उतारू है जिससे अपीलाण्टान के नाम दर्ज भूमि को अपना इच्छानुसार उपयोग व उपभोग तथा ऋण आदि की सुविधा से वंचित हो रही हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वितीय अपील हरजिन्द्र कौर और अन्य बनाम स्वर्णजीत सिंह अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2018, सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिट पिटिशन पुरूषोतम सिंह बनाम हरबन्स कौर आदि निर्णय दिनांक 18.11.1996, आरआरडी 14.09.2011 पेज नं. 642, आरआरडी 1989 पेज 548, 2009 डीएनजे (एससी) पेज 429, आरआरटी 2015 (1) पेज 561, आरआरटी (2) पेज 1182, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, आरआरटी 2017 (1) पेज 361, आरआरटी 2016 (2) पेज 1323, आरआरटी 2015 (2) पेज 1108 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई कारण कथित नहीं किया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायायल में उपस्थित थे और अपीलाण्ट की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण कथित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा खाता विभाजन का है। अधीनस्थ न्यायालय में यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया है। दौराने दावा रिकार्ड में तबदीली होती है तो पक्षकारान के हित प्रभावित होंगे। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2006 (2) पेज 1246, आरआरटी 2017 (1) पेज 711 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलार्थीगण का धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण इनका धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं डिले कन्डोन की जाती है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 न एक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि को खाता विभाजन करवाने बिना रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करने का स्थगन जारी करने का अनुतोष मांगा। इस प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दिनांक 01.06.2018 के द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया एवं उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 13.07.2018 के द्वारा पूर्व में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला वाद पत्र कन्फर्म किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनकी संयुक्त खाता की भूमि है और दावा केवल विभाजन का है संयुक्त खाता की भूमि में संयुक्त खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से नहीं रोका जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी संवत 2072–2075 की फोटो प्रति प्रस्तुत हुई है प्रश्नगत भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की भूमि है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि में रिकार्डेड खातेदार हैं। बिना विभाजन के विशेष भू भाग का बेचान करने से किसी सहखातेदार को रोका जा सकता है किन्तु उसे अपने हिस्से को बेचान करने से रोका जाना नियमानुकूल नहीं है। इस तरह रिकार्डेड खातेदार को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग एवं हिस्से का बेचान से रोका जाना उचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015 (1) पेज 633 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य एव अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीार की जाती उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 एवं 13.07.2018 खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णिय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official